

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज0)

बइजलास अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :- 114/2025/दावा/बउनवान/मनभर बनाम रामस्वरूप

जीसीएमएस संख्या :- 2025/181

01. मनभर बाई पत्नी भवानीशंकर जाति रेगर निवासी मांगरोल तहसील मांगरोल

.....वादीया

बनाम

01. रामस्वरूप पुत्र कजोड जाति बैरवा निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल

02. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट

दायरा दिनांक: 20.05.2025

निर्णय दिनांक : 20.05.2025

निर्णय

कोर्ट कैम्प ईश्वरपुरा

वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा कोर्ट कैम्प ईश्वरपुरा में उपस्थित होकर शामलाती खाते की आराजी को आपसी सहमति के आधार पर बंटवारा करवाने हेतु निवेदन किया।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से स्पष्ट है कि वादी एवं प्रतिवादीगण शामलाती खाते में सह-खातेदार हैं। सह-खातेदार होने के कारण वादी एवं प्रतिवादीगण को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आये दिन समस्या का सामना करना पड़ता है। वादी एवं प्रतिवादीगण सह-खातेदार होने से शामलाती खाते का बंटवारा करवाकर खाता पृथक करवाने के अधिकारी हैं।

पक्षकारान स्वयं कोर्ट कैम्प ईश्वरपुरा में उपस्थित आए। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ने कोर्ट कैम्प में आपसी सहमति से बंटवारा कराने पर सहमति जाहिर की। चूंकि वादी एवं प्रतिवादी आपसी सहमति से बंटवारा कराने पर सहमत हैं। अतः ग्राम बोहत तहसील मांगरोल की आराजी खाता सं. 642 खसरा नं0 2111 रकबा 1.66 हे0 में वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा जमाबन्दी अनुसार पृथक से दर्ज राजस्व रिकार्ड करने के आदेश कोर्ट कैम्प ईश्वरपुरा में मजमेआम दिये गये। तहसीलदार मांगरोल को आदेशित किया गया कि तदनुसार विभाजन प्रस्ताव बनाकर कोर्ट कैम्प में पेश करें।

तहसीलदार मांगरोल द्वारा कोर्ट कैम्प में बंटवारा प्रस्ताव पेश किया जिसके अनुसार ग्राम बोहत तहसील मांगरोल की आराजी का बंटवारा निम्नानुसार वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य किया जाता है:-

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

क्र.सं.	खातेदार का नाम	खसरा नं.	रकबा(हे०)	दिशा/हिस्सा
	मनभर बाई पत्नी भवानीशंकर जाति रेगर निवासी मांगरोल खातेदार	2111	0.83	उत्तरी
		किता 1	रकबा 0.83 हे०	

प्रतिवादी

क्र.सं.	खातेदार का नाम	खसरा नं.	रकबा(हे०)	दिशा/हिस्सा
1	रामस्वरूप पुत्र कजोड़ जाति बैरवा सा. ईश्वरपुरा खातेदार	2111	0.83	दक्षिणी
		किता 1	रकबा 0.83 हे०	

तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। उक्त आशय की डिक्री जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2025 को कोर्ट कैम्प मऊ में मजमेआम सुनाया गया।

अंजना (सहस्रवत्सुधकार ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
मांगरोल

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्दाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix "D"- 1)

अज अदालत :-

न्यायालय ब इजलास अजंजा सहरावत R.A.S उपखण्ड अधिकारी मांगरोल मुकाम मांगरोल

प्रकरण संख्या :- 114 / 2025 / दावा / बउनवान / मनभर बनाम रामस्वरूप

जीसीएमएस संख्या :- 2025 / 181

निर्णय दिनांक :- 20.05.2025

बउनवान:-

01. मनभर बाई पत्नी भवानीशंकर जाति रेगर निवासी मांगरोल तहसील मांगरोल

.....वादीया

बनाम

01. रामस्वरूप पुत्र कजोड़ जाति बैरवा निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल

02. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला वारां (राज0)

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट

कोर्ट कैम्प ईश्वरपुरा

कोर्ट कैम्प ईश्वरपुरा में वादी एवं प्रतिवादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 20.05.2025 को अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) पीठासीन अधिकारी के समक्ष वास्ते बंटवारा पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री जारी की जाती है कि कोर्ट कैम्प ईश्वरपुरा में तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी वाके ग्राम बोहत तहसील मांगरोल का पृथक-पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है:-

वादी

क्र.सं.	खातेदार का नाम	खसरा नं.	रकबा(हे0)	दिशा / हिस्सा
1	मनभर बाई पत्नी भवानीशंकर जाति रेगर निवासी मांगरोल खातेदार	2111	0.83	उत्तरी
		किता 1	रकबा 0.83 हे0	

प्रतिवादी

क्र.सं.	खातेदार का नाम	खसरा नं.	रकबा(हे0)	दिशा / हिस्सा
1	रामस्वरूप पुत्र कजोड़ जाति बैरवा सा. ईश्वरपुरा खातेदार	2111	0.83	दक्षिणी
		किता 1	रकबा 0.83 हे0	

तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 20.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिये गये।

अंजना अंजना सहरावत (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

मुदई	रुपया	पै.	मुदायलाह	रुपया	पै.
जीदावा		स्टाम्पअर्जीदावा	
वकालतनामा		स्टाम्प वकालतनामा	
वजह सबूत		स्टाम्प वजह सबूत	
महनताना वकील		महनताना वकील	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिश्नर	
बबत इजराय हुकमनामा		बबत इजराय हुकमनामा	
मुतफर्रिक		मुतफर्रिक	
मीजान		मीजान	

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

अंजना (हरिपति अरुण सु.)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल